

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर
रेसकोर्स रोड, ग्वालियर-474002(म.प्र.)

“ऑनलाइन ई-निविदा सूचना”

क्र./का.यं./सु.अधि./2024-25/

दिनांक:

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में सुरक्षा व्यवस्था कार्य हेतु ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदाकार को निविदा के साथ 30,000/- (रु. तीस हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का EMD ऑनलाईन 07/04/2025 तक जमा करना अनिवार्य है।

ऑनलाइन निविदा फॉर्म शर्तों के साथ दिनांक 18-03-2025 से दिनांक 07/04/2025 तक वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से रु.1000+पोर्टल चार्ज जमा करके क्रय किये जा सकेंगे। दिनांक 07/04/2025 तक ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करके दस्तावेजों (टैक्नीकल बिड) को दिनांक 08/04/2025 में सायं 5:00 बजे तक डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के कार्यपालन यंत्री कार्यालय, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर म.प्र.-474002 में जमा कराने होंगे। फाइनैशियल बिड (प्रपत्र-7) 07/04/2025 सायं 5 बजे तक ऑनलाइन ही प्रस्तुत करने पर मान्य होगी। इसके पश्चात दिनांक 09/04/2025 में टैक्नीकल बिड एवं दिनांक 21/04/2025 में फाइनैशियल बिड समिति के समक्ष खोली जायेगी।

किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा। निविदा फार्म प्राप्त करने के पश्चात फर्म/एजेंसी कार्य स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> पर दी जायेगी।

सुरक्षा अधिकारी

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

ऑनलाइन ई-निविदा फार्म का मूल्य रूपये (1000 + Portal चार्ज शुल्क)

दिनांक 01 मई 2025 से 2 वर्ष के लिये राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु पंजीकृत/प्राइवेट लि. सुरक्षा एजेंसियों जिनका वार्षिक टर्नओवर रूपये 50 लाख अथवा उससे अधिक हो, तथा जिनके पे-रोल में कम से कम 100 सुरक्षा गार्ड/स्टाफ लगे हों, से सुरक्षा कार्यों हेतु पूर्ण यूनीफार्म धारण किये 8 गनमैन एवं 32 सुरक्षा गार्ड कुल 40 अनुमानित जो कि विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है, प्रदाय करने बावत् ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। सुरक्षा एजेंसी का श्रम विभाग के अधीन पंजीयन, ईपीएफ कमिश्नर कार्यालय में पंजीयन, ईएसआई पंजीयन, GST पंजीयन तथा संबंधित पुलिस विभाग में पंजीयन होना आवश्यक है।

निविदा फार्म दिनांक 07/04/2025 की सायं 5:00 बजे तक बेवसाईट <http://www.mpeproc.gov.in> के माध्यम से शुल्क 1000+Portal चार्ज जमा कर क्रय किये जा सकेंगे। दिनांक 07/04/2025 को ऑनलाईन जमा कर दस्तावेजों (टैक्नीकल बिड) को दिनांक 08/04/2025 में सायं 5:00 बजे तक डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा संस्था के कार्यपालन यंत्री कार्यालय, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर म.प्र.-474002 में जमा किये जायेंगे। इसके पश्चात् कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। फाइनैशियल बिड (प्रपत्र-7) 07/04/2025 सायं 5 बजे तक ऑनलाईन ही प्रस्तुत करने पर मान्य होगी। टेक्नीकल निविदा खुलने की दिनांक 09/04/2025 समय अपरान्ह 3:00 बजे निर्धारित है। अगर कोई शासकीय अवकाश या अन्य किसी कारण से कार्यालय बन्द रहता है तो आगामी कार्य दिवस पर निविदा खोली जायेगी।

1. निविदाकार (सुरक्षा एजेंसी)
का नाम एवं पूर्ण पता
2. निविदाकार का दूरभाष क्रं. मो.क्रं.
3. बयाना राशि (ईएमडी)
रूपये 30,000/- FDR क्रं. दि. बैंक का नाम

// घोषणा //

मैंने / हमने इस निविदा फार्म के साथ संलग्न निविदा के नियमों एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ लिया है तथा उसमें वर्णित समस्त नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करता हूँ / करते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा कार्य आदेश प्रदाय करने के पश्चात यदि हमारे द्वारा सुरक्षा सेवाएँ किन्हीं कारणों से प्रदाय नहीं की जाती है, तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह हमारे द्वारा जमा की गई बयाना राशि (ईएमडी) रूपये 30,000/- राजसात कर ले, जिसके लिये हम अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

दिनांक :

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

स्थान :

(सुरक्षा एजेंसी की मुहर)

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

// निविदा के नियम एवं शर्तें //

दिनांक 01 मई 2025 से 2 वर्ष के लिये राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की सुरक्षा कार्य हेतु पंजीकृत/प्राईवेट लि. सुरक्षा एजेंसियों से पूर्ण यूनीफार्म धारण किये 8 गनमैन एवं 32 सुरक्षा गार्ड कुल 40 अनुमानित है जोकि विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है, प्रदाय करने बावत् ऑनलाईन ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा की नियम एवं शर्तें निम्न होगी।

1. सुरक्षा एजेंसी का कम से कम पिछले वित्तीय वर्षों में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
2. कार्य के समय कोई भी मादक पदार्थ का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मादक पदार्थ का सेवन पाये जाने पर संबंधित सुरक्षाकर्मी को तत्काल ही कार्य से अलग करना होगा।
3. निविदा प्रपत्र के साथ ऑनलाईन ईएमडी (बयाना राशि) के रूप में रुपये 30,000/- देय होगी।
4. दस्तावेजों (टैक्नीकल बिड) को लिफाफे में रखें एवं लिफाफे के ऊपर पर "राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा गार्ड प्रदाय करने बावत् निविदा" लिखकर कार्यालय में जमा करें।
5. सफल निविदाकर को सुरक्षा गार्ड्स सभी पालियों में स्वयं के व्यय पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को आवश्यकतानुसार प्रदाय करने होंगे। इस बावत् विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम से नियुक्त कर्मचारी का वेतन आहरण नहीं किया जावेगा।
6. विश्वविद्यालयीन शर्तों के अनुरूप प्रस्तुत की जाने वाली तकनीकी निविदायें ही मान्य की जायेंगी।
7. विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार तथा प्राधिकारी अधिकारी के निर्देशानुसार सुरक्षा गार्डों की आपूर्ति संबंधित सुरक्षा एजेंसी द्वारा किया जाना सुरक्षा एजेंसी की बाध्यता होगी तथा इसमें किसी भी प्रकार के व्यवधान पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकता है।
8. प्रदाय किये गये सुरक्षा गार्ड मौसम के अनुसार यूनीफार्म धारण किये होने चाहिये तथा पूर्णरूपेण साफ, स्वच्छ व अच्छी यूनीफार्म (जिसमें कैप, बैल्ट, व रोजाना पॉलिश किये हुये चमड़े के जूते इत्यादि शामिल हैं), सुरक्षा सामग्री (जैसे बैट, सीटी, टॉर्च, लाइसेंसी बंदूक इत्यादि) से सुसज्जित तथा अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त किये होने चाहिये।
9. स्वीकृत निविदा की सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण होने के पश्चात ही सफल निविदाकार को कार्य प्रदाय आदेश जारी किया जायेगा।
10. विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी को किसी भी निविदा को किसी भी समय स्वीकार/अस्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं तथा उनका निर्णय अंतिम तथा निविदाकार को स्वीकार होगा, जिस पर कोई आपत्ति अथवा दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. पूर्ण एवं आवश्यक जानकारी के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी जिसके लिये पृथक से कोई भी आपत्ति अथवा दावा विश्वविद्यालय द्वारा मान्य नहीं किया जायेगा।
12. सुरक्षा निधि के रूप में राशि, रु 6.0 लाख की एफ.डी.आर जो कि लगाए गए सुरक्षाकर्मियों के एक माह के वेतन के समतुल्य होगी एवं लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के नाम देयक जमा करानी होगी। यदि भविष्य में संस्था में कोई टूट-फूट या सामग्री चोरी होने पर हर्जाना राशि इसी एफ.डी.आर से देय करनी होगी एवं पुनः 6.0 लाख की एफ.डी.आर राशि पूर्ण करनी होगी।
13. सफल निविदाकार को सूचना उपरांत 7 दिवस (कार्य दिवसों) के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ 500/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा। अनुबंध के प्रदाय किये जाने वाले सुरक्षा गार्डों का पूर्ण विवरण मय फोटोग्राफ एवं पहचान दस्तावेजों सहित विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा। एजेंसी द्वारा दी जाने वाली कार्य व्यवस्था कार्यावधि के दौरान संतोषजनक पाये जाने पर कार्य अवधि अधिकतम 6 माह के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति मिलने पर बढ़ाई जा सकेगी।
14. सफल निविदाकार की जो दरें विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत की जायेंगी, वह दरें अगले 02 वर्ष के लिये मान्य रहेंगी। परन्तु न्यूनतम वेजस एक्ट 1948 के अनुसार रिविजन होने की स्थिति में न्यूनतम रिवाइस्ड रेट को मान्य किया जाएगा।
15. विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्डों को कम अथवा अधिक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे निविदाकार द्वारा स्वीकार्य होगा तथा उक्त सुरक्षा गार्ड निविदा की स्वीकृत दर पर ही प्रदाय करने होंगे। सभी सुरक्षाकर्मियों के वेतन का भुगतान प्रत्येक माह के प्रथम 10 दिवस में करना अनिवार्य होगा।

16. सुरक्षा एजेंसी को लेबर नियमों के अधीन रजिस्टर्ड होना आवश्यक है (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)।
17. सुरक्षा एजेंसी का संबंधित पुलिस विभाग में पंजीयन होना आवश्यक है, उसकी सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
18. सुरक्षा एजेंसी को आवश्यक रूप से ईपीएफ कमिश्नर कार्यालय में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, इसके लिये रजिस्ट्रेशन नंबर की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
19. सुरक्षा एजेंसी द्वारा समस्त सुरक्षा गार्डस को परिचयपत्र प्रदाय किये होना चाहिये तथा उनका नाम वर्दी पर सामने की ओर अंकित होना चाहिये।
20. सुरक्षा एजेंसी को लेबर नियमों के अनुसार न्यूनतम भुगतान, बोनस, ईपीएफ, ईएसआई आदि का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा तथा इस संबंध में किये गये भुगतान (प्रति गार्ड/गनमैन) का जमापत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
21. विश्वविद्यालय के कार्यालयीन के भवनों तथा उसके साथ लगे हुये परिसर एवं विश्वविद्यालय परिसर के अन्य स्थान जहां उन्हें तैनात किया जाएगा, उसकी सुरक्षा की संपूर्ण जवाबदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी तथा किसी तरह के नुकसान/चोरी होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरदायित्व निर्धारण पश्चात नुकसान की राशि सुरक्षा एजेंसी की सुरक्षानिधि से वसूल की जायेगी।
22. सुरक्षा एजेंसी को बहुत अच्छी सुरक्षा सेवाएँ जैसे कि सुरक्षा गार्डस का चयन, उनका प्रशिक्षण तथा उनको सुपरविजन प्रदाय करने की जवाबदारी सुरक्षा प्रदायकर्ता एजेंसी की होगी।
23. सुरक्षा गार्डस की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक है।
24. सुरक्षा एजेंसी किसी भी गार्ड से आठ घंटे से अधिक कार्य नहीं करवायेगी तथा यदि कोई आकस्मिक परिस्थितियां हैं तो उन्हें नियमानुसार ओवरटाईम देना होगा।
25. संबंधित फर्म की सेवाएँ असंतोषजनक पाये जाने पर किये गये अनुबंध को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी को होगा तथा संबंधित फर्म द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि राजसात कर ली जायेगी।
26. संबंधित फर्म को कार्य आदेश प्रदान करने तथा अनुबंध होने के पश्चात भी विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी को संबंधित फर्म को दिये गये कार्य आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
27. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र ग्वालियर रहेगा।
28. सर्विस चार्ज के परिपेक्ष में भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ऑफिस मेमोरेन्डम No.29(1)2014-PPD dated 28/01/2014 के अनुसार ही टेन्डर को मान्य किया जाएगा।
29. वर्तमान में म.प्र. शासन द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार ही टेन्डर मान्य होगा।
30. फर्म के चयन का प्रमुख आधार सेवा शुल्क ही होगा। एक से अधिक न्यूनतम बोली होने की स्थिति में निविदा कार्य फर्म की योग्यता व साख के आधार पर कार्य प्रदाय किया जायेगा, जिसका निर्धारण कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा निविदा के शर्तों के अधीन किया जायेगा।
31. अनुबंध देने के पश्चात अनुबंध से संबंधित GST या अन्य लागू कर या लागू किये गये अन्य करों का भुगतान सुरक्षा एजेंसी द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार के दावे के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। हालांकि भारत सरकार द्वारा निर्देशित आयकर व अन्य कोई कर, जो कि भारत सरकार द्वारा समयानुसार लागू दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा, निविदाकार के मासिक भुगतान से स्रोत पर ही काट लिया जायेगा।
32. विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार के नियत EPF व ESI योगदान, OTA इत्यादि पर अतिरिक्त शुल्क/भत्ता वहन नहीं करेगा। मासिक वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्देशित न्यूनतम वेतन के अनुसार होगा (न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948)।
33. बोली लगाने वाले के द्वारा लगाये गये सेवा शुल्क में प्रतिदिन के सेवा खर्च (मेटल डिटेक्टर, लाठी, टार्च, गणवेश, सीटी, वाकी-टाकी, लाइसेंसी बंदूक आदि) का मूल्य सम्मिलित होना चाहिए।
34. EPF तथा ESI का रजिस्ट्रेशन अन्यत्र होने की स्थिति में निविदाकार को टेण्डर स्वीकृत होने की स्थिति में 45 दिन के अंदर ग्वालियर पी.एफ. कमिश्नर से EPF तथा ESI कोड या सबकोड (जो लागू हो) एवं पंजीयन प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नियत तिथि में प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनकी निविदा अमान्य हो जायेगी एवं नियमानुसार अगले क्रम में eligible निविदाकार का टेण्डर मान्य किया जायेगा।

35. समान सेवा शुल्क होने की स्थिति में PSARA ACT-2005 के अनुसार प्रशिक्षण की सुविधा (स्वयं अथवा अनुबंधित) रखने वाली सुरक्षा एजेंसी को प्राथमिकता दी जावेगी।
36. समान सेवा शुल्क होने की स्थिति में ISO सर्टिफिकेशन फर्म/एजेंसी को प्राथमिकता दी जावेगी।
37. वर्तमान में निविदाकर्ता के पास कितने कर्मचारी कार्यरत हैं उनका विवरण प्रपत्र -1 में देना होगा।
38. निविदाकर्ता फर्म को प्रपत्र-2 अनुसार फर्म की जानकारी तथा घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
39. निविदाकर्ता एजेन्सी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए साथ ही उसे किसी आपराधिक मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सीधे दोषी नहीं ठहराया गया हो। निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम/सहकारी संघ से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है, इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को प्रपत्र-3 अनुसार रू0 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर विधिवत शपथपत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
40. निविदाकर्ता फर्म प्रपत्र-8 अनुसार, फर्म का सक्षम न्यायालय/ईपीएफ/ईएसआईसी आदि में वाद प्रचलित है या नहीं, से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करना होगा।
41. संस्था/कंपनी/एजेन्सी द्वारा समय-समय पर राज्य श्रमिकों हेतु जारी किए गए आदेशों में उल्लेखित दरों के अनुसार ही अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल श्रेणी के कर्मियों को श्रम आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित दर (म.प्र. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948) के अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्थिति में कर्मियों को श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश घोषित दर से कम भुगतान नहीं किया जावेगा।
42. संस्था/कंपनी/एजेन्सी द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए निविदा प्रपत्र-7 (फाइनेंशियल बिड) में उनके द्वारा मात्र सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्विस चार्ज प्रतिशत के रूप में अंकित करना होगा। सर्विस चार्ज कर रहित होना चाहिए। विश्वविद्यालय के द्वारा नियमानुसार तत्समय लागू श्रम आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित दर (म.प्र. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948), ई.पी.एफ. ई.एस. आई.सी. का भुगतान एवं अन्य वैधानिक परिलब्धियां जो नियमानुसार देय हैं, उनका भुगतान बंधनकारी होगा। सर्विस चार्ज (वित्त मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना क्र.F/6/1/2023-PPD) दिनांक 17/01/2024) 3.85 से 7.00 % के मध्य स्वीकार्य होगा। जिसकी गणना श्रम आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित दर (म.प्र. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948) के अनुसार राज्य श्रमिकों हेतु दी जाने वाली न्यूनतम वेतन (जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी शामिल है) के आधार पर होगी।
43. सफल निविदाकार, सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान प्रतिमाह 7 तारीख से पहले करेगा। तत्पश्चात् सभी आवश्यक प्रपत्रों के साथ देयक भुगतान हेतु विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा। एजेन्सी को देयक भुगतान प्रतिमाह कार्य के सत्यापन करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
44. सफल निविदाकार, अपने देयक के साथ बैंक को वेतन भुगतान हेतु NEFT करने विषयक लिखे पत्र की पावती (ई-भुगतान का अभिलेख) मय बैंक स्टेटमेंट जमा करेगी, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी के बैंक विवरण की जानकारी दर्ज हो। इस पत्र में कर्मचारी के वेतन खाते के अतिरिक्त अन्य खाता मान्य नहीं होगा। इसी अनुक्रम में देयक के साथ वर्तमान माह की उपस्थिति पंजी/श्रमिक सुरक्षाकर्मी पंजी की सत्यापित छायाप्रति संलग्न होना अनिवार्य है।
45. एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी कि वह कर्मियों का EPF (Employee's Provident Fund), ESIC (Employee's State Insurance Corporation) Contribution एवं अन्य कर नियमानुसार अनिवार्य रूप से जमा करेंगे एवं गत माह की सत्यापित प्रति (ईपीएफ भुगतान की ईसीआर एवं ईएसआईसी भुगतान का चालान) आगामी बिल के साथ प्रस्तुत करेंगे। इसके अभाव में देयक भुगतान की कार्यवाही नहीं की जावेगी। इस जानकारी (ECR) में मात्र इस विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों का उल्लेख होना चाहिए। एजेंसी के अन्य संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों का उल्लेख इस जानकारी में नहीं होना चाहिए।
46. कार्यबल की, ड्यूटी 8-8 घंटे में परिवर्तन किये जाने की जवाबदारी एजेन्सी की होगी।
47. दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष अनुबन्ध समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 01 माह की पूर्व सूचना देना आवश्यक है। आपात स्थिति में विश्वविद्यालय के पास कभी भी अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

48. जो निविदा मान्य नहीं होगी उनकी निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) नियमानुसार लौटा दी जावेगी। स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदाकार की प्रतिभूति राशि (EMD) कार्य/अनुबंध समाप्ति उपरांत लौटा दी जावेगी।
49. करों की कटौती विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान के पूर्व एट सोर्सिस किया जायेगा, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो टैक्स विश्वविद्यालय द्वारा एट सोर्सिस नहीं काटे गये हैं उनके दायित्व से निविदाकार मुक्त नहीं माना जावेगा।
50. समस्त प्रकार के करों को चुकाने की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी।
51. कर्मी कार्य की अवधि में किसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो फर्म उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए तत्काल ऑनलाईन ईएसआईसी दुर्घटना फार्म भरते हुए उपचार करवायेगी। कर्मियों के साथ हुई दुर्घटना अथवा नुकसान का जिम्मेदार रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर नहीं होगा।
52. विश्वविद्यालय को इस निविदा से प्रदत्त कर्मियों की योग्यता एवं कार्य की गुणवत्ता का समय-समय पर विश्वविद्यालय विभागीय समिति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। कार्यालयीन कार्य की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो फर्म तत्काल उक्त कर्मचारी बदलेगी। विश्वविद्यालय ऐसी स्थिति में प्रतिभूति राशि (EMD) से शास्ति स्वरूप राशि काटकर निविदा को निरस्त करने की कार्यवाही कर सकता है।
53. निविदा की शर्तें, फर्म एवं विश्वविद्यालय के मध्य निष्पादित होने वाले अनुबंध का एक भाग होगी।
54. विश्वविद्यालय द्वारा चाही गयी निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD), अन्य आवश्यक विवरण (सुरक्षाकर्मियों के ई-सेवा दस्तावेज) एवं वांछित जानकारियों के तकनीकी निविदा में संलग्न करने के अभाव में प्राप्त निविदा निरस्त मानी जावेगी।
55. निविदा, निर्धारित तिथि एवं समय पर विश्वविद्यालय कार्यालय में खोली जावेगी। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।
56. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जावेगा।
57. निविदाकार द्वारा निविदा प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात् अपनी निविदा वापसी करने का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं उनके द्वारा जमा की गई निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
58. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षाकर्मी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 50 वर्ष होना चाहिए एवं उनका स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र निविदा मान्य होने पर संलग्न करना अनिवार्य हैं। कर्मियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, कराए जाने का दायित्व फर्म के व्यय पर, फर्म का होगा।
59. निविदाकारों द्वारा दी गई सर्विस चार्ज की न्यूनतम दर एक समान पाए जाने पर, प्राथमिकता देने के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा। प्राथमिकता का निर्धारण, शासकीय/अर्धशासकीय संस्थानों में अधिकतम गार्ड/गनमैन की सेवाओं के साथ अधिकतम वर्षों का कार्यानुभव के आधार पर किया जावेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।
60. एजेन्सी सभी कर्मियों का बॉयोडाटा पी.एफ., ई.एस.आई.सी. आदि ई-सेवा दस्तावेजों सहित नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ के साथ एवं पुलिस वेरिफिकेशन सुरक्षा अधिकारी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वयं के व्यय पर सौपेगी।
61. एजेन्सी को प्रचलित अधिनियमों जैसे Minimum Wages Act 1948, Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act 1952, Provisions of GST, इत्यादि का पालन करना होगा एवं इनके अतिरिक्त निविदा में उल्लेखित एवं अन्य प्रासंगिक सभी प्रकार के नियम लागू होंगे।
62. अगर किसी प्रकरण में विश्वविद्यालय प्रशासन उचित समझता है कि जाँच आवश्यक हो या पुलिस थाना में रिपोर्ट करना आवश्यक हो तो एजेन्सी को साक्ष्य आदि के लिए तबतक उपलब्ध रहना होगा, जब तक उसका फ़ैसला नहीं हो जाये।
63. एजेन्सी द्वारा दी गई जानकारी एवं प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर एजेन्सी के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राशि राजसात कर ली जावेगी।
64. सुरक्षा एजेन्सी द्वारा प्रदाय संस्था में कार्यरत सुरक्षाकर्मियों के द्वारा भविष्य में नियमित मासिक वेतन पारिश्रमिक भुगतान प्राप्त न हो पाने की स्थिति में यदि विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष उक्त सुरक्षाकर्मियों के द्वारा कोई लिखित पिकायत प्राप्त होने की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन सम्बन्धित सुरक्षा एजेन्सी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु अधिकृत एवं स्वतन्त्र होगा।

टैक्नीकल बिड

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में 8(गनमैन)+32(गार्ड)=40 सुरक्षा गार्ड प्रदाय करने बावत् ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की गई निविदा हेतु टैक्नीकल बिड। (कृपया सभी विवरण की जानकारी साफ-साफ शब्दों में लिखे और संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

क्र.	विवरण	
1.	निविदाकार (सुरक्षा एजेंसी) का नाम एवं पूर्ण पता	
2.	बयाना राशि (ईएमडी) रूपये 30,000/- का विवरण FDR क्रं. एवं दिनांक	
3.	निविदाकार का दूरभाष क्रं./मो. क्रं.	
4.	वर्तमान में निविदाकर्ता फर्म में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। विवरण प्रपत्र-1 अनुसार।	
5.	फर्म की जानकारी तथा घोषणा पत्र प्रपत्र-2 अनुसार।	
6.	आपराधिक प्रकरण, ब्लैक लिस्ट आदि की घोषणा से संबंधित शपथ पत्र प्रपत्र-3 अनुसार।	
7.	फर्म का सक्षम न्यायालय/ईपीएफ/ईएसआईसी आदि में चल रहे वाद के संबंध में जानकारी प्रपत्र-8 अनुसार	
8.	सुरक्षा एजेंसी का श्रम विभाग के अधीन पंजीयन क्रमांक व दिनांक एवं उसकी वैधता की तिथि (पंजीयन दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति)	
9.	सुरक्षा एजेंसी के पास प्रायवेट सिक्योरिटी एजेंसीस (रेगुलेशन) एक्ट 2005 का वैध रजिस्ट्रेशन व वैधता का प्रमाण पत्र	
10.	प्राइवेट लि.कंपनी/रजिस्टर्ड फर्म या कंपनी होने का पंजीयन प्रमाण-पत्र का क्रमांक व दिनांक (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)	
11.	कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की सत्यापित प्रति)	
12.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति)	
13.	जी.एस.टी. खाता क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति)	
14.	पेनकार्ड (PAN) की छाया प्रति	
15.	फर्म का इनकम टैक्स के पिछले तीन असेसमेन्ट वर्ष 2023-24, 2022-23, 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा का छाया प्रति।	
16.	न्यूनतम 100 कर्मियों के जी.एस.टी. जमा का प्रमाण पत्र (विगत 03 माह की सत्यापित छाया प्रति)।	
17.	न्यूनतम 100 कर्मियों के ई.पी.एफ. कटोत्रा जमा के प्रमाण स्वरूप इलेक्ट्रानिक चालान रसीद एवं चालन सहित (विगत 03 माह की सत्यापित छाया प्रति) एवं ईपीएफ कार्यालय की उद्यतन निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न करें।	
18.	न्यूनतम 100 कर्मियों के ई.एस.आई.सी. कटोत्रा का प्रमाण पत्र (विगत 03 माह की सत्यापित छाया प्रति)	
19.	न्यूनतम 100 कर्मियों से कार्य कराने का लेबर लायसेन्स जो निविदा की तिथि के पूर्व का हो की (सत्यापित छाया प्रति)	

20.	सुरक्षा कार्य के क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों का अनुभव होना चाहिए। पिछले तीन वित्त वर्षों (2023-24, 2022-23, 2021-22) का संबंधित संस्थाओं का कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें। प्रपत्र-4 अनुसार	
21.	विगत 5 वर्षों में शासकीय विभाग, अर्द्धशासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी संघ आदि में कम से कम 100 सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने का अनुभव प्रमाण पत्र एवं कार्यादेश संलग्न करना अनिवार्य हैं। साथ ही 100 सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने की क्षमता होना चाहिए।	
22.	एजेंसी की भविष्य की वित्तीय स्थायित्व की सुनिश्चितता सिद्ध करने के लिये सुरक्षा एजेंसी के पूर्व तीन वर्षों का वित्तीय विवरण, बैलेंस शीट (चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित की छायाप्रति) प्रपत्र-5 अनुसार	
23.	निविदाकर्ता फर्म श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करें। प्रपत्र-6 अनुसार नोट:- असहमत होने की दशा में टेण्डर मान्य नहीं होगा।	

दिनांक :

स्थान:

हस्ताक्षर निविदाकार

(सुरक्षा एजेंसी की मुहर)

सुरक्षा व्यवस्था हेतु ई-निविदा वर्ष 2025-27

प्रपत्र-1

निविदाकर्ता फर्म के पास वर्तमान में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों की जानकारी

निविदाकर्ता फर्म का नाम:

पता:

सं.क्रं.	सुरक्षा कर्मी का पदनाम	संख्या	कुल वेतन
01	सुपरवाइजर		
02	गार्ड		
03	गनमेन		

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर सील सहित

प्रपत्र-2

निविदाकर्ता फर्म की जानकारी तथा घोषणा पत्र

क्र.	विवरण	
01	निविदाकर्ता फर्म का नाम	
02	कार्यालयीन पता	
03	दूरभाष नम्बर	
04	मोबाईल नम्बर	
05	ई-मेल आईडी0	
06	पेन कार्ड नं0	
07	जीएसटी नं0	
08	फर्म का रजिस्ट्रेशन नं0 व दिनांक	
09	कार्य का टर्न ओवर	
10	कार्य का अनुभव	
11	संस्थानों की संख्या, जहाँ वर्तमान में एजेंसी द्वारा सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराया जा रहा है	
12	एजेंसी में सुरक्षा कर्मियों की कुल संख्या	
13	फर्म के बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, खाता क्र0	

घोषणा पत्र

मेरे/हमारी संस्था द्वारा निविदा में दिए गए सभी नियम/शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं निविदा की शर्तों के अधीन राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में सुरक्षा व्यवस्था का कार्य करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर सील सहित

प्रपत्र-3

शपथ पत्र का प्रारूप
(रु. 1000/- के गैर न्यायिक मुद्रांक/नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं पुत्र/पुत्रीउम्र वर्ष
पता.....

शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ कि :-

- (1) मैं निविदाकर्ता संस्था..... (फर्म/कंपनी/समिति का नाम) का
.....(एकल स्वामी/साझेदार/संचालक/मैनेजर/अधिकृत प्रतिनिधि) हूँ तथा यह संस्था
वर्तमान में वैधानिक रूप से पंजीकृत है। जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता
.....है।
- (2) मैंने निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लिया है तथा उसमें वर्णित समस्त शर्तें मुझे तथा
मेरी संस्था को मान्य है।
- (3) निविदा में वर्णित सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिए मेरे/मेरी संस्था के पास समस्त आवश्यक
वैधानिक अनुज्ञप्तियां, पंजीकरण तथा स्वीकृतियां प्राप्त हैं।
- (4) मेरी संस्था को किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था/उपक्रम/सहकारी संघ से कभी भी ब्लैक
लिस्टेड नहीं किया गया है।
- (5) मेरी संस्था के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है और न ही किसी आपराधिक मामले में
सीधे दोषी है।
- (6) फर्म का सक्षम न्यायालय/ईपीएफ/ईएसआईसी आदि में वाद/विवाद संबंधित जानकारी प्रपत्र-8
संलग्न है।
- (7) मेरे/मेरी संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई सभी जानकारियां पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है किसी भी
जानकारी के असत्य पाये जाने पर मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त किया जाना मान्य होगा
तथा हमारे द्वारा जमा की गई निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि
विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा जप्त किया जाना मुझे/हमारी संस्था को मान्य होगी

स्थान.....
दिनांक

शपथगृहीता

नाम:

पता:

1 गवाह का नाम एवं पता:

2 गवाह का नाम एवं पता:

प्रपत्र-4

सुरक्षा कार्य व्यवस्था के क्षेत्र में पिछले तीन वित्त वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) में अनुभव की जानकारी :-

निविदाकर्ता फर्म का नाम:

पता:

सं. कं.	वर्ष	संस्था का नाम जहाँ सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य किया है।	अवधि		कुल अवधि वर्ष एवं माह	सुरक्षा कर्मियों की संख्या	वार्षिक देयक राशि
			दिनांक से	दिनांक तक			
01	2021-22						
02	2022-23						
03	2023-24						

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

प्रपत्र - 5

अंकेक्षित लेखों का सारांश

(रु. 100/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें)

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स पता
..... के विगत पांच वर्षों के अंकेक्षित लेखों एवं आयकर विभाग को प्रस्तुत आयकर
विवरणियों की जांच मेरे द्वारा की गई। अंकेक्षित लेखों के अनुसार निविदाकार के द्वारा किये गये सुरक्षा कार्य
एवं अन्य कार्यों का आवर्त (टर्न ओवर) इस प्रकार है:-

क्रमांक	वर्ष	राशि (शब्दों में)	राशि (अंकों में)
01	2021-22		
02	2022-23		
03	2023-24		

टीप:- शब्दों एवं अंकों में राशि का अंतर होने पर शब्दों की राशि को प्रमाणित माना जाएगा।

उपर्युक्त आवर्त की गणनाएं मेरे द्वारा स्वयं जांची गई हैं। जिसे प्रशासन राजमाता विजयाराजे सिंधिया
कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की निविदा शर्तों के अनुसार वांछित शर्त के रूप में प्रमाणित करता हूं।

स्थान:

चार्टर्ड लेखाकार का नाम:

दिनांक

फर्म का पदमुद्रा:

शपथग्रहीता

प्रपत्र - 6

घोषणा पत्र

(श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में)

मैं आत्मज सुरक्षा कार्य के लिये रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर में निविदाकार हूं। मैं यह घोषित करता हूं कि हमारी संस्था द्वारा यदि रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर में कार्य किया जायेगा तो हमारी संस्था द्वारा सभी श्रम कानूनों का पालन करते हुए निर्धारित अन्य विधिक प्रावधानों के अनुरूप सुविधाएं अपने कर्मचारियों को प्रदान की जायेगी इसके संबंध में किसी भी प्रकार के कानून/नियम/विधिक प्रावधान का उल्लंघन होने पर हमारी संस्था ही उसके लिए जिम्मेदार होगी।

स्थान:

दिनांक:.....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

फाइनेंशियल बिड

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में गार्ड/गनमैन प्रदाय करने बावत् आमंत्रित की गई ऑनलाईन ई-निविदा हेतु फाइनेंशियल बिड।

निविदाकर्ता फर्म का नाम:

फर्म का पता:

फोन/मोबाइल नं.:

क्र.	विवरण	दर*(%)
1	सुरक्षा के लिए सेवा शुल्क (निविदा दस्तावेज में दी गई नियम एवं शर्तों के अनुसार)	

*- दर दशमलव के बाद दो अंकों से ज्यादा न हो।

दिनांक :

स्थान:

हस्ताक्षर निविदाकार

(सुरक्षा एजेंसी की मुहर)

प्रपत्र-8

घोषणा

फर्म का सक्षम न्यायालय/ईपीएफ/ईएसआईसी आदि में चल रहे वाद/विवाद के संबंध में जानकारी

क्रं.	प्रकरण क्रमांक	जहां प्रकरण चल रहा है, का नाम	संक्षिप्त जानकारी

उपरोक्त वाद/विवाद नहीं होने की स्थिति में "निरंक" दर्ज करें।

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पता: